दिनांक 23.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मात्र 24 घण्टे मे महिला से पर्स छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर लूटेरे/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटा गया सामान (01 मोबाइल फोन, 01 लैडीज बैग व 2000/- रुपये नकद) बरामद व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल टीवीएस स्पोर्टस अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज

अवगत कराना है कि दिनांक 21.11.2024 को वादीया श्रीमती सुषमा पत्नी अंकुश निवासी ग्राम मवीखुर्द थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वी मार्ट शिवाजी नगर के पास वादिया से पर्स छीनकर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 677/24 धारा 304(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार को आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में नकबजनी/लूट/चोरी आदि घटनाओ की रोकथाम व नकबजन/लूटेरे/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए महिला से पर्स छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए **02 शातिर/लूटेरे अभियुक्तगण 1. जाहिद पुत्र शौकीन नि0 होली चौक रक्खा कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर व 2. सावेज उर्फ तुर्की पुत्र रियासत नि0 रक्खा कालोनी मस्जिद के पीछे थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को विनोद विहार कालोनी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से लूटा गया 01 मोबाइल फोन (रियल मी नारजो), 01 लैडीज बैग (गुलाबी, सफेद लाईनदार पट्टी) व 2000/- रुपये नकद बरामद व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल टीवीएस स्पोर्टस (यूपी 11 बीयू 2865) को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक साथ बताया कि पैसो के लालच में हम लोगो ने दिनांक 21.11.2024 को शाम के वक्त दिल्ली रोड पर पैदल जा रही एक महिला से झप्पटा मारकर उसका पर्स मोटरसाइकिल से छीन कर भाग गये थे। हम दोनो से जो रुपये व मोबाइल हमें मिले थे, बैग में 4000/- रुपये मिले थे जिनमें से 2000 रुपये हमने खर्च कर दिये है और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के बारे में पूछा तो जाहिद ने बताया कि यह मेरे पिताजी शोकीन के नाम है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. जाहिद पुत्र शौकीन निवासी होली चौक रक्खा कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर ,
2. सावेज उर्फ तुर्की पुत्र रियासत निवासी रक्खा कालोनी मस्जिद के पीछे थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

अभियुक्त सावेज उर्फ तुर्की का आपराधिक इतिहास:

1. मु0अ0सं0 196/2020 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सदर बाजर स0पुर

<u>बरामदगी का विवरण</u> –

01 मोबाइल फोन रीयल-मी नारजो

01 लैडीज बैग (गुलाबी, सफेद लाईनदार पट्टी) व 2000 रुपये

01 घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल रंग काला (यूपी 11 बीयू 2865) अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिहं थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री शहरोज आलम थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
4. है0का0 460 प्रमोद थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
5. है0का0 518 हरेन्द्र थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
6. का0 2546 नवीत थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक - 23.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा साइबर हेल्प डेस्क द्वारा साईबर फ्राड मे ठगी किये गये 35000/- रूपये कराये वापस

अवगत कराना है कि दिनांक 24.08.2024 को वादी श्री अखिल नागर निवासी विविध नगर कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर द्वारा लिखित तहरीर देकर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी को पैसे डबल करने का लालच देकर 35000/- रूपये की धनराशि की ठगी किये जाने के सम्बन्ध में थाना सरसावा साइबर हेल्प डेस्क द्वारा साइबर हेल्प लाईन 1930 पर वादी की शिकायत संख्या 23108240097495 दर्ज करायी गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम हेतू साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी व धोखाधडी की गयी धनराशि को पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे जागरूकता अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे थाना सरसावा साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा उपरोक्त शिकायत में प्रभावी कार्यवाही करते हुए वादी को आनलाइन पैसे डबल करने का लालच देकर ठगी की गयी कुल 35,000/- रूपये की धनराशि NSDL बैंक मे फ्रीज करायी गयी थी। फ्रीज करायी गयी कुल 35000/- रूपये की धनराशि आज दिनांक 23/11/2024 को थाना साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा पीडित के खाते में वापस करायी गयी। पीडित द्वारा थाना सरसावा साइबर हेल्प डैस्क टीम व सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है।

साईबर हैल्प डेस्क टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. क0आ0 सुमित कुमार सरसावा जनपद सहारनपुर
4. का0 2246 लोकेश कुमार थाना सरसावा जनपद सहरनपुर
5. म0का0 2141 प्रियम पंवार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक 23.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द साइबर हेल्प डेस्क द्वारा आनलाइन साईबर फ्राड़ के माध्यम से ठगी गयी 40,000/- रूपये की धनराशि पीडित के खाते में करायी वापस

अवगत कराना है दिनांक 05.06.2024 को वादी श्री मजाहिर हसन पुत्र इस्लाम अहमद निवासी ग्राम तिगरी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर के साथ अज्ञात साईबर ठगों ने वादी के पुत्र जो कि चेन्नई में पढाई करता है, के अपहरण के नाम पर फर्जी काल करके वादी के साथ 70,000/- रूपये की ठगी कर ली थी। जिसके सम्बन्ध में वादी कि लिखित तहरीर के आधार पर थाना देवबन्द मु0अ0सं0 372/24 धारा 420 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व धोखाधडी कर ठगी की गयी धनराशि को पीडितो के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे जागरूकता अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के नेतृत्व मे थाना देवबन्द साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए वादी से ठगी गई धनराशि में से 40000/- रूपये केनरा बैंक शाखा जयपुर राजस्थान में होल्ड कराये गये थे। जो आज दिनांक 23/11/2024 को साईबर सेल देवबन्द सहारनपुर द्वारा विधिक कार्यवाही के उपरान्त केनरा बैंक जयपुर शाखा राजस्थान से ठगी गई धनराशि से 40,000/- रूपये की धनराशि पीडित के खाते में वापस कराई गयी। पीडित द्वारा थाना देवबन्द साईबर हैल्प डेस्क टीम व सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है।

साइबर फ्राड़ में धनराशि वापस कराने वाली साईबर टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना देवबन्द सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. कम्प्यूटर ऑपरेटर रूपेन्द्र सिंह थाना देवबन्द सहारनपुर
4. का0 2163 उमेश कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर
5. म0का0 हिमानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक - 23.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक देहात एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 23.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा 02 वारंटी **अभियुक्तगण 1. यासीन पुत्र अलबेला नि0 मौ0 कानूनगोयान थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 96/23 मु0अ0स0 134/22 धारा 182 भादवि व **2. जोनी पुत्र सुरेश नि0 ग्राम टिकरौल थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 233/22 मु0अ0स0 220/21 धारा 147,452,504,506 भादवि. चालानी थाना नानौता सहारनपुर (मा0न्या0 अपर सिविल जज जू0डी0/जे0एम0 देवबन्द जनपद सहारनपुर) में क्रमशः कस्बा नानौता व ग्राम टिकरौल थाना नानौता से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. यासीन पुत्र अलबेला नि0 मौ0 कानूनगोयान थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. जोनी पुत्र सुरेश नि0 ग्राम टिकरौल थाना नानौता जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम –

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री रोहताश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री जयवीर सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
5. है0का0 1047 सतीश नागर थाना नानौता जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक 23-11-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते मा0 न्यायालय जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-देवबन्द, सहारनपुर द्वारा हत्या के मामलें में अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई गयी सजा –

अवगत कराना है कि दिनांक 17.12.2017 को वादी श्री सुरेन्द्र पुत्र शीशपाल निवासी ग्राम हरजौली थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त संजय पुत्र भूषण लाल निवासी तल्हेडी खुर्द थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की लडकी अंजली पर जान से मारने की नीयत से मिटटी का तेल छिडकर आग लगा देने की सूचना पर थाना देवबन्द पर मु0अ0स0-1211/2017 धारा 302 भादवि के पंजीकृत कराया गया था । उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 371/2018 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-देवबन्द जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 23.11.2024 को संजय पुत्र भूषण लाल उपरोक्त को मु0अ0स0-1211/2018 धारा 302 भादवि का दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 50 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री देवीदयाल शर्मा
विवेचक निरीक्षक श्री देवेन्द्र सिंह
पैरोकार हे0का0 180 कपिल कुमार थाना देवबन्द

-प्रेस नोट-

दिनांकः 23.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, पुलिस द्वारा ऑपरेशन क्लीन के अन्तर्गत माल मुकदमाती कुल 34 लावारिश/ लादावा वाहनों की नीलामी कराकर, कुल 4,11,000/- रूपये का राजस्व प्राप्त किया गया

- **कुल 34 वाहन माल मुकदमाती वाहनो की नीलामी**
- **मुल्यांकन की कुल धनराशि 1,16,250 रूपये**
- **नीलामी राशि 4,11,000 रूपये**
- **बोली दाता सलीम पुत्र इस्लाम नि0 कस्बा व थाना देवबंद जनपद सहारनपुर**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में मालो के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे "ऑपरेशन क्लीन" अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी देवबन्द के कुशल नेतृत्व में एंव उप जिलाधिकारी देवबंद श्री दीपक कुमार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्री रोहित कुमार, प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर, व हैड मोहर्रीर की मौजूदगी में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना देवबंद परिसर में लम्बे समय से खड़े लावारिस एंव लादावा कुल 34 वाहनों (01 चार पहिया/33 दो पहिया) माल जिनकी आरटीओ कार्यालय द्वारा मूल्यांकन धनराशि 1,16,250/- रूपये निर्धारित करा कर कार्यक्रम अनुसार थाना देवबंद परिसर मे नीलामी करायी गयी। जिसमें कुल 64 बोली दाताओं द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली लगायी गयी। । उच्च **बोली दाता श्री सलीम पुत्र इस्लाम नि0 कस्बा व थाना देवबंद जनपद सहारनपुर** द्वारा उच्चतम बोली 4,11,000/- रूपये लगायी गयी। उच्च बोली दाता के हक में नीलामी छोड़ी गयी।

नीलाम हुए माल मुकदमाती कुल 34 वाहनों का विवरण –

01 वाहन – चार पहिया

33 वाहन – दो पहिया

नीलामी कराने वाली टीम का विवरण –

1- श्री दीपक कुमार उप जिला मजिस्ट्रेट देवबंद जनपद सहारनपुर
2- श्री रविकांत पारसर क्षेत्राधिकारी देवबन्द जनपद सहारनपुर
3- श्री रोहित सिह संभागीय परिवहन निरीक्षक जनपद सहारनपुर
4- प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
5- निरीक्षक अजय कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
6- हैड मोहर्रिर 497 सचिन दांगी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर